भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 466
दिनांक 25.06.2019/4 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवादी गतिविधियां

†466. श्री टी॰एन॰ प्रथापनः
श्री दिलीप साईकियाः
श्री रमेश चन्द्र कौशिकः
श्री दीपक बैजः
श्री एच॰ वसंतकुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सहित देशभर में गत पांच वर्षों के दौरान आतंकवादी गतिविधियां घटी हैं;
(ख) जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में उक्त घटनाओं में उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितने कार्मिक/नागरिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं तथा इनमें हुए संपत्ति के नुकसान का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा आतंकवाद को रोकने तथा कश्मीर में बढ़ती असंतुष्टि को मैत्रीपूर्ण करने के लिए-की-गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन पर जेकेसीसीएस और एपीडीपी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से अवगत है; और
(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): देश के भीतरी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी आई है। इसी प्रकार, पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं। जम्मू एवं कश्मीर में, सुरक्षा बल आतंकवाद के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आतंकवादियों का सक्रिय रूप से सामना कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं और सुरक्षा बल भी हताहत हुए हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान देश में हुई आतंकवादी/विद्रोही/उग्रवादी घटनाओं के ब्योरों के साथ-साथ मारे गए सुरक्षा कार्मिकों/नागरिकों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ग): देश में आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए, केंद्र और राज्य स्तर पर आसूचना तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच गहन और प्रभावकारी समन्वय बनाए रखा जा रहा है। अन्य आसूचना एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ आसूचना के वास्तविक समय पर मिलान और आदान-प्रदान के लिए 24x7 आधार पर कार्य करने हेतु मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) को सक्षम बनाने के लिए इसका सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन किया गया है। राज्य बलों की क्षमता का संवर्धन करने के उद्देश्य से, केंद्रीय एजेंसियां आसूचना के आदान-प्रदान और आतंकवादी मामलों की जांच के संबंध में राज्य बलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रहती हैं। कई राज्यों ने आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष बलों का गठन किया है। ऐसी घटनाओं से निपटने में राज्यों की सहायता करने के लिए विभिन्न स्थानों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों की तैनाती भी की गई है।

जहां तक जम्मू एवं कश्मीर का संबंध है, सरकार सुरक्षा की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करती है। आतंकवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए, ऑपरेशनल ग्रिड के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने, आतंकवादी कृत्यों के प्रभावशाली प्रतिशोध आदि सहित अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार ने युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों तथा युवा विनिमय कार्यक्रम सहित अनेक उपाय कार्यान्वित किए हैं। प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 के अंतर्गत विकास संबंधी गतिविधियां भी शुरू की जा रही हैं।

(घ) और (ङ): उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन दो संगठनों ने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है। ये संगठन राज्य में तथ्यों और जमीनी वास्तविकताओं की अनदेखी करते हुए दुर्भावना और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं।

******

अनुलग्नक

दिनांक 25.06.2019 का लो.सं.अ.प्र.सं. 466

दिनांक 25.06.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 466 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(1) देश का भीतरी क्षेत्र

वर्ष	आतंकवादी हमलों की सं.	मारे गए नागरिकों की सं.	मारे गए सुरक्षा कार्मिकों की सं.
2014	03	04	-
2015	01	03	04
2016	01	01	07
2017	-	-	-
2018	01	03	-

(2) जम्मू एवं कश्मीर

वर्ष	घटनाओं की सं.	मारे गए नागरिकों की सं.	मारे गए सुरक्षा कार्मिकों की सं.
2014	222	28	47
2015	208	17	39
2016	322	15	82
2017	342	40	80
2018	614	39	91

(3) पूर्वोत्तर क्षेत्र

वर्ष	पूर्वोत्तर में विद्रोह से संबंधित घटनाओं की संख्या	मारे गए नागरिकों की सं.	मारे गए सुरक्षा कार्मिकों की सं.
2014	824	212	20
2015	574	46	46
2016	484	48	17
2017	308	37	12
2018	252	23	14

(4) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)

वर्ष	वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाओं की संख्या	मारे गए नागरिकों की सं.	मारे गए सुरक्षा कार्मिकों की सं.
2014	1091	222	88
2015	1089	171	59
2016	1048	213	65
2017	908	188	75
2018	833	173	67

******